अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 04 / 2013

प्रभात कुमार बैठा

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
23.07.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 46/गो0, दिनांक 10.01.2013 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 30.10.2012 को 3:00 बजे अपराहन् में प्रखंड मढौरा के नौतन पंचायत के टेकही पुराना पंचायत भवन में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में जन अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यपालक दण्डाधिकारी मढौरा एवं प्रखण्ड आपूति पदाधिकारी मढौरा, शामिल थे। जवाहिर साह, पिता–निठालु साह, सा0–विक्रमपुर द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री प्रभात कुमार बैठा अनुज्ञप्ति संख्या – 129 /07, पंचायत–नौतन के संबंध में शिकायत किया गया, जिसके संदभ में प्रखण्ड आपूति पदाधिकारी मढौरा को इसके विरूद्ध कार्रवाई करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा करने कि बात कही गई है। अनियमितताए निम्नवत है। (1) अत्योदय योजना में 35 किलो के स्थान पर 30 किलो अनाज दिया जाता है, जिसका कुल कीमत 110.00रू0 लिया जाना। (2) किरासन तेल 2.750 ली0 के स्थान पर 2.500 ली0 तेल दिया जाना, तथा प्रतिलिटर 18.00रू के दर से किरासन तेल का हिसाब लिया जाना है। उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 1768/गो0 दिनांक 27.11.2012 के	

द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा अन्तोदय योजना के अंतर्गत लाभुकों को प्रति माह 35 कि0ग्रा0खाद्यान्न (14 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 21 कि0ग्रा0 चावल) निर्धारित दर पर (2रू0प्रति किलों गेहूँ एवं 3 रू0 प्रति कि0ग्रा0 चावल-कुल कीमत 91 रू0) दिया जाता है। संबंधित लाभुकों को प्रति माह 2.750 लीटर किरासन तेल रू0 16.25 प्रतिलीटर की दर से वितरण किया जाता है। जहाॅ तक जवाहर साह, पिता-निठलु साह, सा0-विक्रमपुर, के द्वारा लगाए गए आरोपो का प्रश्न है, उस संबंध में कहना है कि श्री साह एक अनपढ़ व्यक्ति है एवं मजदुरी किया करते है, तथा बराबर घर से बाहर ही रहते है। प्रत्येक माह मिलने वाली सामग्री की मात्रा एवं कीमत की जानकारी इन्हें नहीं है। इनके परिवार के सदस्यों के द्वारा सामग्री का उठाव किया जाता है। इससे संबंधित शपथ पत्र श्री साह के द्वारा दिया गया है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण ससमय किया जाता है। जांच के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल बिन्दु पाया जाता है तो यह आवश्यक है कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से उसे विक्रेता को उपलब्ध कराकर उनसे पूरक कारण पृच्छा किया जाए,लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 46/गो0, दिनांक 10.01.2013) में कई कमियां नजर आ रही है। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में यदि कुछ कमी थी या कोई अनियमितता पाई गई, तो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि विक्रेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं प्राप्त जवाब के

आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति के संबंध में कोई निर्णय लिया जाता, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नही किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 19.01.2013 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

23/07/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

23/07/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 496 /न्या0, दिनांक 25/7/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

24/7/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

24/7/15